



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112024-258522
CG-DL-E-07112024-258522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4465]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2024/कार्तिक 16, 1946

No. 4465]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2024/KARTIKA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2024

सं. 75/2024-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4846(अ).—केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 141 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास रेग्युलेशन, 2009 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ — (1) इन विनियमों को हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास (अमेंडमेंट) रेग्युलेशन, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास रेग्युलेशन्स, 2009 (इसमें इसके पश्चात उक्त विनियमों के रूप में उल्लिखित) में, —

(क) विनियम 5 में, उप-विनियम (3) में, “दस” शब्द के स्थान पर, “पाँच” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) विनियम 10 में, उप-विनियम (2) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाशुल्क कार्गो सेवा प्रदाता के मामले में, उप-विनियम (1) के अंतर्गत नियुक्ति का अनुमोदन विस्तारित माना जाएगा तथा तब तक वैध रहेगा जब तक कि प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक प्राधिकरण वैध है तथा विनियम 12 के अनुसार निलंबित या निरस्त नहीं किया गया है।” ।

[फा. सं. 520/32/2022-सी.शु-VI]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 26/2009-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 17/03/2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में सा.का.नि. सं. 174(अ), दिनांक 17 मार्च, 2009 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 29/2019-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 01/04/2019 के द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2024

No. 75/2024-Customs (N.T.)

S.O. 4846(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 141, read with section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These regulations may be called the Handling of Cargo in Customs Areas (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the said regulations), —

(a) in regulation 5, in sub-regulation (3), for the word "ten", the word "five" shall be substituted.

(b) in regulation 10, in sub-regulation (2), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided further that in case of Customs Cargo Service Provider authorised under Authorised Economic Operator Programme, the approval of appointment under sub-regulation (1) shall deemed to be extended and remain valid till such time the Authorised Economic Operator authorisation is valid and not suspended or revoked in terms of Regulation 12”.

[F. No. 520/32/2022-Cus-VI]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

Note: The principal Notification No. 26/2009-Customs (N.T.) dated 17/03/2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 174(E), dated the 17th March, 2009 and was last amended by Notification No. 29/2019-Customs (N.T.) dated 01/04/2019.